बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022 4312 पटना, दिनांक 23/12/2022

आदेश

निदेशालय मुख्यालय स्तर पर नामित्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के नोडल पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया है कि सीतामढ़ी जिला के अंचल–बाजपट्टी के मौजा दरही केशोपुर, थाना नं0 – 117 के विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री आशीष कुमार, (AEN003418) के विरूद्ध ग्रामीणों से शिविर प्रभारी को यह शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री कुमार द्वारा दाखिल–खारिज, अद्यतन लगान रसीद जैसे राजस्व दस्तावेज नहीं देने पर भारी भरकम रकम की मांग किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 3040 दिनांक 26.10.2022 द्वारा आरोपित से संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि उनपर लगाए गए आरोप कुछ खास व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित प्रतीत होता है एवं उनपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, जिसकी जांच वरीय पदाधिकारी से कराया जाय।

इसी क्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि आरोपित आदती तौर पर लापरवाह अक्षम एवं अनुशासनहीन हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि उक्त राजस्व ग्राम के रैयतों से शिकायते मिलती रही है, जिसके आलोक में जांच के क्रम में संबंधित अमीन द्वारा सरकारी कार्य करने के लिए पैसे का लेन–देन किया गया है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा बयान दिया गया है कि अमीन अवैध तरीके से पैसे की वसूली करते हैं।

आरोपित के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा सर्वे कार्य में अनियमितता बरती गयी है एवं भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है। इनके इस प्रकार के कृत्य से सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े इसके दृष्टिगत इन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री आशीष कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN003418) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

23/12/22
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022 4712 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्री आशीष कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN003418) बंदोबस्त कार्यालय सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022 4712 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढ़ी–27/2022 4712 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप